

(भारत के राजपत्र के भाग-1। खण्ड 3 उपखण्ड(1) में प्रकाशनार्थ)

संकेत- 20014/2/2007-डीडी।ए

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
०००००

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 17 जुलाई, 2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं..... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नजूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

भूमि की श्रेणी	2008-2009 के लिए नरेला के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें
1. सीजीएचएस के लिए भूमि	(प्रति वर्ग मी०)
2. वैकल्पिक भूखंड	8254.00 रु०
	6622.00 रु०
	(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल हैं)
3. डीडीए आवासीय स्कीम	8254.00 रु०
(क) एसएफएस	6878.00 रु०
(ख) एमआईजी	4127.00 रु०
(ग) एलआईजी	2752.00 रु०
(घ) ईडब्ल्यूएस	फ्लैटों की विक्री लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाए)
4. जे०जे० स्क्वेटर्स (पुनर्वास)	68.90 लाख रु० प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित की जानी हैं)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए प्रभावी हैं।

(हस्ताक्षर)

(एस०एन० गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली।